

**कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर
(खनन अनुभाग)**

पत्रांक: 4344/ख0अनु0/ई-निविदा/2026-27

दिनांक : 12/09/2026

**भण्डारित आर0बी0एम0 के निस्तारण/निकासी हेतु
ई-निविदा आमन्त्रण सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना।**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सहारनपुर में पुराने स्क्रीनिंग प्लाण्ट/क्रेशर के रैम्प/डग के पास /अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज आर0बी0एम0 को ई-निविदा के माध्यम से निस्तारित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

भण्डारित स्थल का विवरण :-

क्र० सं०	ग्राम /तहसील	ख०न० /रकबा	मात्रा (घ०मी० में)	क्षेत्र का जियो कॉर्डिनेट्स		नीलामी की दर (प्रति घ०मी०) (खनिमुख मूल्य)	सकल धनराशि (4 x 5)	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (सकल धनराशि का 50 प्रतिशत)	RBM की निकासी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अकबरपुर बांस अह0 बेहट	1/45.982 हे० का आंशिक भाग (572 वर्गमीटर)	2574	30°16'53.91" N 30°16'54.21" N 30°16'54.80" N 30°16'55.06" N 30°16'54.65" N	77°32'41.02" E 77°32'40.92" E 77°32'41.74" E 77°32'42.28" E 77°32'45.50" E	800/-	20,59,200/-	10,29,600/-	10 दिन
2	अकबरपुर बांस अह0 बेहट	1/45.982 हे० का आंशिक भाग (6599 वर्गमी०)	36954	30°16'47.70" N 30°16'48.37" N 30°16'50.85" N 30°16'50.79" N 30°16'50.38" N 30°16'53.09" N 30°16'53.30" N 30°16'50.26" N	77°32'28.28" E 77°32'27.77" E 77°32'32.03" E 77°32'32.37" E 77°32'33.03" E 77°32'32.71" E 77°32'33.52" E 77°32'33.81" E	800/-	2,95,63,200/-	1,47,81,600/-	60 दिन
3	शाहपुर बांस अह0 बेहट	1/29.317 हे० का आंशिक भाग (2139 वर्गमीटर)	8556	30°16'43.89" N 30°16'44.30" N 30°16'45.53" N 30°16'46.45" N 30°16'45.97" N 30°16'46.77" N	77°32'27.94" E 77°32'28.58" E 77°32'27.27" E 77°32'28.13" E 77°32'26.15" E 77°32'27.58" E	800/-	68,44,800/-	34,22,400/-	20 दिन
4	शाहपुर बांस अह0	1/29.317 हे० का आंशिक भाग (1263 वर्गमीटर)	5052	30°16'41.93" N 30°16'41.37" N 30°16'41.73" N 30°16'42.69" N 30°16'42.84" N	77°32'27.23" E 77°32'27.49" E 77°32'28.73" E 77°32'29.76" E 77°32'29.49" E	800/-	40,41,600/-	20,20,800/-	15 दिन
5	शाहपुर बांस अह0	1/29.317 हे० का आंशिक भाग (1148 वर्गमीटर)	4592	30°16'40.01" N 30°16'39.57" N 30°16'38.26" N 30°16'38.35" N 30°16'40.86" N 30°16'40.55" N	77°32'24.72" E 77°32'23.99" E 77°32'22.61" E 77°32'22.41" E 77°32'24.64" E 77°32'25.14" E	800/-	36,73,600/-	18,36,800/-	15 दिन

उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज **RBM** को निस्तारित करने के लिए दिनांक 18.09.2026 से दिनांक 28.09.2026 तक अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाएगी, जिसे दिनांक 29.09.2026 से दिनांक 30.09.2026 के मध्य समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक स्थान खनिज कार्यालय, सहारनपुर में निर्धारित ई-निविदा (ई-टेंडर) के प्रपत्र पर निविदा प्राप्त की जाएगी, जिनको अगले कार्यदिवस में दिनांक 01.10.2026 को समय 02:00 PM बजे जिलाधिकारी सहारनपुर के कार्यालय में निविदादाताओं तथा गठित कमेटी की उपस्थिति में खोला जाएगा। यदि उक्त ई-निविदा प्राप्त करने एवं खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो प्राप्त ई-निविदा को खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल तथा खोलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इच्छुक व्यक्ति ई-निविदा (ई-टेंडर) मुहरबन्द लिफाफे में खनन कार्यालय में रखे बॉक्स में डाला जाएगा।

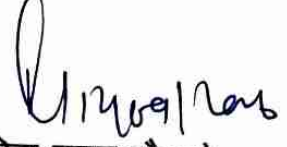
शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- उपखनिज आर0बी0एम0 की निकासी की निर्धारित अवधि अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो, की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा एवं समय विस्तार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :-

- (i) निविदाकार का नाम:-
- (ii) निविदाकार के पिता का नाम:-
- (iii) स्थायी पता:-
- (iv) वर्तमान पता:-
- (v) पैन नं०:-
- (vi) आधार नं०:-
- (vii) ई-मेल आई डी:-
- (viii) मोबाईल नं०
- (ix) पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई डी/पास पोर्ट/डीएल/विद्युत बिल/बैंक पास बुक/राशन कार्ड)
- (x) आवेदित क्षेत्र का विवरण – तहसील व ग्राम का नाम :-
- (xi) उपखनिज का नाम :-
- (xii) भण्डारित आर०बी०एम० की मात्रा:-
- (xiii) खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र:-
- (xiv) न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी सहारनपुर के नाम देय होगा।
 - (क) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि :-
 - (ख) बैंक का नाम व शाखा :-
 - (ग) ड्राफ्ट नम्बर एवं दिनांक :-
- (xv) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र-
- (xvi) चोरी, तस्करी, अवैध खनन/अवैध परिवहन अथवा अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं ठहराये गये हैं तथा कोई खनन सम्बन्धी देय उस पर बाकी नहीं है के सम्बन्ध में शपथ पत्र-

3. निविदाकार को निविदा के लिए निर्धारित रॉयल्टी से अधिक दर की धनराशि को शब्दों में तथा अंकों में स्पष्ट रूप से निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग/अपर लेखन स्वीकार नहीं किया जाएगा और निविदा निरस्त समझी जाएगी।
4. निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध उपखनिज आर०बी०एम० की मात्रा/स्थिति आदि का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।
6. सर्वोच्च दर के निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (LOI) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई-निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदा कर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
7. निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम के रूप से जमा अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी०एम०एफ० व 2 प्रतिशत टी०सी०एस० जमा करने के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई-निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. उक्त ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
9. उपखनिज आर०बी०एम० की निकासी की अवधि तालिका में अंकित अवधि के अनुसार ही अनुमन्य होगी, तदुपरान्त अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
10. उपखनिज निकासी हेतु कार्यादेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज आर०बी०एम० की निकासी किया जायेगा।
11. मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
12. निविदा जमा करने से पूर्व इच्छुक व्यक्ति उक्तानुसार एकत्रित किये गये उपखनिजों के स्थान का भली-भांति स्थलीय निरीक्षण कर उपलब्ध मात्रा एवं पहुँच मार्ग आदि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। निविदा सम्पन्न हो जाने के उपरान्त तत्सम्बन्ध में कोई आपत्ति/दावा मान्य नहीं होगा।
13. निविदा स्वीकृत हो जोन के उपरान्त यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती, तो नियमानुसार जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी।

14. उक्त निविदा के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय सहारनपुर में उपस्थित होकर निविदा प्रपत्र एवं जानकारी प्राप्त कर सकता है।
15. निविदा के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या जिलाधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।
16. यदि कोई निविदाकार निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन/परिवहन करता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक/वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्र संख्या व दिनांक :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, सहारनपुर।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर।

/

जिलाधिकारी
सहारनपुर।